

## प्रेसनोट दिनांक 07.09.2021

1. दिनांक 06.09.21 को वादी श्री मो० स्वाले पुत्र महमूद चौधरी नि० बहेलिया टोला थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अबूबसर पता अज्ञात आदि 03 नफर अभिरुप अबूबसर के कहने पर वादी के पुत्रों द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 587/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री स्वतंत्र कुमार मौर्या थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज निषाद उर्फ ठुन्नू पुत्र भगवान दास नि० गुप्तार घाट थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 340/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 06.09.21 को वादी श्री मो० असलम पुत्र अब्दुल मतीन नि० सिकन्दराबाद थाना टाण्डा अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि बरकत अली पुत्र समसुल हक नि० 498/13 कुतुबपुर आंशिक डालीगंज चौराहे के पास लखनऊ उत्तरी आदि 04 नफर अभिरुप द्वारा बस को रुकवाकर वादी कन्डकटर को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 440/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० उबैद पुत्र अकील अहमद उर्फ भोगाली नि० सहनवा थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 09 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 441/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री अर्जुन यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि खुशीराम विश्वकर्मा पुत्र राजाराम विश्वकर्मा नि० सुजानपुर शेरवाघाट थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 254/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 06.09.21 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र राम केवल नि० रहेट थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज कुमार उर्फ अर्जुन पुत्र राम कीरत नि० रहेट थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभिरुप द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 458/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 06.09.21 को वादी श्री अजय सिह पुत्र जगदीश नि० देवरी रंजीत थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रखर सिह पुत्र वीरेन्द्र सिह नि० कदियापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी को मोबाइल पर गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 221/21 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पठेल थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुख्तार पुत्र वसीम नि० अलीपुर खजुरी थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 457/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री राजाराम थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गेंदालाल पुत्र गुप्तार सरोज नि० उस्कामऊ थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर आदि 02 नफर दोनों गिर० अभिरुप द्वारा बिना परमिट के हरे महुआ का पेड़ काटना तथा बिना नम्बर के ट्रैक्टर से परिवहन करते समय पकड़े जाना, मौके से 06 अदद बोटा व 01 कुन्तल जलौनी लकड़ी बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 259/21 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० व 128 टीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 06.09.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना मर्वई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पर्चई पुत्र दयाराम नि० बनिया का पुरवा कसारी थाना मर्वई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मर्वई में मु०अ०सं० 245/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।